



2026:AHC:165174

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 6792 सन् 2019

हितेश कुमार एवं 4 अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता

याचीगण के अधिवक्ता : सिद्धार्थ खरे

प्रत्युत्तरदातागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

क्रम संख्या 113

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना ।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ योजित की गई है:-

“(क) प्रत्युत्तरदाता प्राधिकारियों को परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए दिनांक 19.06.2018 को परीक्षा की प्रथम पाली में वितरित प्रश्नपत्र सेट-56 के प्रश्न संख्या 22 के विकल्प ‘बी’ के स्थान पर विकल्प ‘सी’ को सही विकल्प घोषित करने तथा तदनुसार याचीगण को अंक प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।

(ख) प्रत्युत्तरदाता प्राधिकारियों को परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए दिनांक 19.06.2018 को परीक्षा की प्रथम पाली में वितरित प्रश्नपत्र सेट-56 के प्रश्न संख्या 85 के सभी विकल्पों को अमान्य/गलत घोषित करने तथा याचीगण को पूर्ण अंक प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ग) प्रत्युत्तरदाता प्राधिकारियों को परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए उपर्युक्त प्रार्थना संख्या (क) एवं (ख) के अनुसरण में उनके द्वारा किए गए सुधार के अनुसार याचीगण के अंतिम परिणाम को संशोधित करने तथा तत्पश्चात् याचीगण को उत्तीर्ण घोषित कर, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कांस्टेबल के पद पर चयन हेतु आगे की कार्यवाही के लिए भेजने का निर्देश दिया जाए।”

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 14.01.2018 के विज्ञापन के अनुसरण में, जो नागरिक पुलिस एवं पी.ए.सी. में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हेतु प्रकाशित किया गया था, याचीगण ने दिनांक 19.06.2018 को आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें उन्हें प्रश्नपत्र सेट-56 दिया गया था तथा उक्त प्रश्नों के उत्तर प्रत्युत्तरदातागण द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी में गलत पाए गए थे। याची के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर विकल्प ‘सी’ है तथा प्रश्न संख्या 85 के सभी उत्तर अमान्य एवं गलत थे। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि इसी भर्ती के संबंध में समान विवाद पर इस न्यायालय की लखनऊ पीठ की समन्वय पीठ द्वारा रिट-ए संख्या 14066 सन् 2019 (अमित कुमार गुप्ता एवं 11 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव, गृह, लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य) तथा रिट-ए संख्या 29956 सन् 2019 (कौशल सहानी एवं 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में विचार किया गया था। अमित कुमार गुप्ता के मामले में इस न्यायालय की लखनऊ पीठ की समन्वय पीठ ने दिनांक 10.10.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

“(1) याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह भदौरिया एवं श्री राकेश कुमार यादव की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ तथा विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा की सहायता से विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री एस.एम. सिंह राँयेकवार को सुना।

(2) यह याचिका कांस्टेबल नागरिक पुलिस एवं कांस्टेबल प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी (पी.ए.सी.) के पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जारी दिनांक 19 जून, 2018 की परीक्षा की शिफ्ट-1 की टेस्ट बुकलेट सीरीज की उत्तर कुंजी दिनांक 05.12.2018 को चुनौती देते हुए योजित की गई है। दिनांक 18.02.2019 की अंतिम चयन सूची/परिणाम को भी चुनौती दी गई है। प्रार्थना संख्या III एवं IV में उल्लिखित प्रश्नों के संबंध में याचीगण के परिणाम को संशोधित करने तथा उन्हें अंक प्रदान करने की प्रार्थना भी की गई है। लिखित परीक्षा में प्राप्त सही अंकों के आधार पर उक्त पद की चयन सूची को पुनः तैयार करने तथा नियुक्ति हेतु उनके मामले पर विचार किए जाने की प्रार्थना भी की गई है।

(3) इससे पूर्व इस न्यायालय ने दिनांक 02.07.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

“1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह भदौरिया एवं श्री राकेश कुमार यादव की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ तथा विपक्षी संख्या 1 से 4 के विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना।

2. आदेश-पत्र के अनुसार, पूर्व में विपक्षी संख्या 5 से 11 को दस्ती समन के साथ नोटिस जारी किए गए थे तथा तामील का शपथपत्र दाखिल किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 17.01.2024 के आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में इस न्यायालय के नोटिस के प्रकाशन का निर्देश दिया गया था। इसके अनुपालन में दिनांक 06.02.2024 को कार्यालय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि व्यापक प्रसार वाले चार समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया। तथापि, नोटिस के व्यापक प्रकाशन के बावजूद विपक्षी संख्या 5 से 11 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और तत्पश्चात् दिनांक 15.04.2024 के आदेश द्वारा विपक्षी संख्या 5 से 11 पर नोटिस की तामील पर्याप्त मानी गई।

3. यह याचिका दिनांक 05.12.2018 के विज्ञापन से संबंधित उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नागरिक पुलिस एवं कांस्टेबल पी.ए.सी. की भर्ती की टेस्ट बुकलेट सीरीज की उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए योजित की गई है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 18.02.2019

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की अंतिम चयन सूची को निरस्त करने तथा प्रार्थना संख्या III एवं IV में उल्लिखित प्रश्न के लिए याचीगण के परिणाम को संशोधित करने एवं उन्हें अंक प्रदान करने हेतु परमादेश रिट की प्रार्थना की गई है। कुछ अन्य आनुषंगिक प्रार्थनाएँ भी की गई हैं।

4. इससे पूर्व यह याचिका दिनांक 27.11.2019 के निर्णय एवं आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसे विशेष अपील संख्या 1 सन् 2020 में चुनौती दी गई थी। उक्त विशेष अपील को दिनांक 28.01.2023 के निर्णय एवं आदेश द्वारा स्वीकृत करते हुए मामले को नए सिरे से निर्णय हेतु वापस भेज दिया गया।

5. याचीगण का मामला यह है कि टेस्ट बुकलेट सीरीज संख्या 52 के प्रश्न संख्या 9 एवं 100 से संबंधित अनंतिम उत्तर कुंजी में गलत उत्तर दिए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचीगण द्वारा अनंतिम उत्तर कुंजी के संबंध में आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई थीं, लेकिन विपक्षीगण द्वारा उन आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया और इसके पश्चात् उत्तर कुंजी को अंतिम रूप दे दिया गया, जिसके कारण याचीगण अयोग्य हो गए। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अनुलग्नक संख्या 2 की ओर संकेत करते हुए बताया कि परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न थे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक निर्धारित थे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटे जाने थे। याचीगण द्वारा प्राप्त अंकों के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) एवं अनुसूचित जाति (एस.सी.) श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंकों को दर्शाने हेतु रिट याचिका के अनुच्छेद 27 एवं 28 का भी संदर्भ दिया गया है तथा प्रस्तुत किया गया है कि यदि उपर्युक्त दोनों प्रश्नों की उत्तर कुंजी गलत पाई जाती है, तो इससे प्रत्येक याची के अंकों में कम से कम 2.5 अंकों की वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उनका चयन हो सकता है।

6. जहाँ तक प्रश्न संख्या 9 का संबंध है, यह मौर्य वंश के अंतिम शासक से संबंधित था, जिसमें चार विकल्प दिए गए थे। प्रश्न संख्या 9 निम्नवत् है:-

“प्रश्न संख्या 9-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था?

(ए) अशोक

(बी) बिंदुसार

(सी) बृहद्रथ

(डी) पुष्यमित्र।”

7. इसी प्रकार, उक्त बुकलेट सीरीज का प्रश्न संख्या 100 विकल्पों सहित निम्नवत् था:-

“प्रश्न संख्या 100-

प्रश्न को हल करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें?

90% $6 \times (24 - 8\%4) \%3 =$

(ए) 18

(बी) 20

(सी) $11 \frac{1}{4}$

(डी) 16”

8. इसके पश्चात् याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने विभिन्न पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें से कुछ को एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा अनुमोदित किया गया है, और प्रस्तुत किया कि यद्यपि बुकलेट सीरीज 52 के प्रश्न संख्या 9 से संबंधित उत्तर कुंजी में सही उत्तर (बी) दिया गया है, तथापि उक्त प्रश्न का सही उत्तर वास्तव में (सी) था। इसी प्रकार, प्रश्न संख्या 100 के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रश्न गणितीय प्रकृति का होने के कारण इसे बोडमास के सिद्धांत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

का प्रयोग करके हल किया जाना आवश्यक था, जिसके अनुसार प्रश्न संख्या 100 का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में उपलब्ध नहीं है। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि अनंतिम उत्तर कुंजी में उपर्युक्त दोनों प्रश्नों के संबंध में गलत विकल्प दर्शाए गए थे। उन्होंने प्रत्युत्तर शपथपत्र के अनुच्छेद 5 की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत किया कि याचीगण ने दिनांक 30.06.2018 को ऑनलाइन माध्यम से अनंतिम उत्तर कुंजी के संबंध में अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत की थीं, जिसकी स्कैन की गई तस्वीर भी आर.ए. संख्या 1 के रूप में संलग्न की गई है। उनका कहना है कि प्रत्युत्तर शपथपत्र के अनुच्छेद 5 में किए गए विशिष्ट कथनों का राज्य द्वारा प्रत्युत्तर शपथपत्र के उत्तर में, विशेष रूप से अनुच्छेद 9 में, खंडन नहीं किया गया है।

9. तत्पश्चात् विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिशभ मिश्रा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 8056 (एस/एस) सन् 2020 में दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया कि ऐसी स्थिति में यह विधि की स्थापित स्थिति है कि प्रश्नों की शुद्धता से संबंधित ऐसे विवाद को विशेषज्ञ समिति के समक्ष संदर्भित किया जाना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त दोनों प्रश्नों को किसी विशेषज्ञ निकाय के समक्ष संदर्भित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

10. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि प्राप्त निर्देशों तथा प्रति-शपथपत्र की विषय-वस्तु के अनुसार, अनंतिम उत्तर कुंजी के संबंध में याचीगण की ओर से कोई आपत्ति कभी प्राप्त नहीं हुई थी और उक्त भर्ती के प्रयोजनार्थ एक विशेषज्ञ निकाय का गठन किया गया था, जिसने अनंतिम उत्तर कुंजी के विरुद्ध दाखिल आपत्तियों का विश्लेषण करने के पश्चात् उत्तर कुंजी को अंतिम रूप दिया था। उन्होंने विशेष रूप से टेस्ट बुकलेट सीरीज 52 के प्रश्न संख्या 9 एवं 100 के संबंध में अनंतिम उत्तर कुंजी के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों पर गठित उक्त विशेषज्ञ निकाय द्वारा लिए गए निर्णय को अभिलेख पर लाने हेतु समय प्रदान किए जाने की प्रार्थना की।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, विशेष रूप से विशेष अपील संख्या 1 सन् 2020 में दिनांक 28.01.2023 को पारित निर्णय एवं आदेश के अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट है कि विशेष अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि अपीलकर्ताओं (वर्तमान याचीगण) ने उक्त दोनों प्रश्नों के उत्तरों से संबंधित अनंतिम उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्तियाँ दाखिल की थीं तथा उन्हें उनकी आपत्तियों के संबंध में लिए गए किसी भी निर्णय के बारे में सूचित नहीं किया गया था, किंतु उन्हें लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण दर्शाया गया, जिसके पश्चात् उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षण आयोजित करने हेतु प्रवेश पत्र जारी किए गए। सभी अपीलकर्ताओं/याचीगण ने उक्त दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक परीक्षण में भाग लिया और सफल पाए गए। तथापि, अंतिम चयन सूची में उनके नाम शामिल नहीं किए गए। इसके पश्चात् खंडपीठ ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अपीलार्थियों/याचियों के पक्ष में वाद हेतु कारण तभी उत्पन्न हुआ, जब वे चयन प्रक्रिया में सफल नहीं हो सके और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि रिट याचिका विलंब से दाखिल की गई थी।

12. इस प्रकार, विशेष अपील में दर्ज निष्कर्ष के अनुसार यह अभिलेख पर है कि याचीगण ने वास्तव में उपर्युक्त दोनों प्रश्नों से संबंधित अनंतिम उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्तियाँ दाखिल की थीं, जिन पर विचार नहीं किया गया।

13. रिट याचिका में जिन कुछ पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का उल्लेख किया गया है, उन्हें अभिलेख पर लाया गया है। उनमें से एक पुस्तक के लेखक डॉ. के. गोपालन, निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. हैं, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ था, जिसकी उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी। उक्त तथ्य का उल्लेख रिट याचिका के पृष्ठ 127 पर किया गया है। इसी प्रकार, लेखक सुनील कुमार सिंह की एक अन्य पुस्तक, जो एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है, में भी रिट याचिका के पृष्ठ 133 पर इसी तथ्य का उल्लेख किया गया है। कुछ अन्य पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें यह भी उल्लेखित है कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उत्तर कुंजी में विकल्प (सी) के रूप में दर्शाया गया है, न कि बिंदुसार, जिसे उत्तर कुंजी में विकल्प (बी) के रूप में दर्शाया गया है।

14. तथापि, बुकलेट सीरीज 52 का प्रश्न संख्या 100 गणितीय प्रकृति का है और इसे बोडमास के सिद्धांत को लागू करके हल किया जाना आवश्यक होगा।

15. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने रिशभ मिश्रा (उपर्युक्त) के मामले में पहले ही ऐसे पहलू पर विचार किया है तथा उक्त विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखा है, अर्थात् रन विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2018) 2 एस.सी.सी. 357, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ऐसी स्थिति में, जहाँ न्यायालयों को उत्तर कुंजी में दर्शाए गए उत्तरों में विसंगति अथवा अशुद्धता के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्टि प्राप्त होती है, वहाँ मामले को विशेषज्ञ निकाय के समक्ष संदर्भित किया जाना आवश्यक है।

16. वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर उपर्युक्त निर्णय को लागू करने पर, विशेष रूप से विशेष अपील में खंडपीठ द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष को देखते हुए कि याचीगण द्वारा दाखिल आपतियों पर विचार नहीं किया गया था और ऐसी आपतियों पर विचार किए बिना अनंतिम उत्तर कुंजी को अंतिम रूप दे दिया गया था, तथा एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा अनुमोदित विभिन्न पत्रिकाओं अथवा एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम के अनुसार उक्त पहलू पर विचार किए जाने के दृष्टिगत, बुकलेट सीरीज संख्या 52 के प्रश्न संख्या 9 एवं 100 की शुद्धता के पहलू पर विशेषज्ञ निकाय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक होगा।

17. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह उचित होगा कि उपर्युक्त दोनों प्रश्नों को लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष संदर्भित किया जाए, ताकि टेस्ट बुकलेट सीरीज संख्या 52 के प्रश्न संख्या 9 एवं 100, जिन्हें ऊपर उद्धृत किया गया है, की शुद्धता की जाँच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

18. इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की एक प्रति, याचिका की एक प्रति के साथ, निर्देशों के अनुपालन हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रेषित करें। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इस आदेश तथा संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर उपर्युक्त विशेषज्ञ निकाय का गठन करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार गठित विशेषज्ञ निकाय अपने गठन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट कुलपति को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा, जिसके पश्चात् उक्त रिपोर्ट इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी और अगली सूचीबद्ध तारीख तक अभिलेख पर रखी जाएगी। विशेषज्ञ निकाय अपनी रिपोर्ट में उस सामग्री का भी उल्लेख करेगा, जिसके आधार पर उसके द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

19. विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार, संबंधित प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है कि वह अनंतिम उत्तर कुंजी के विरुद्ध उपर्युक्त दोनों प्रश्नों के संबंध में दाखिल आपतियों के निस्तारण को अभिलेख पर लाते हुए तथा ऐसी आपतियों के निस्तारण के समय जिन पुस्तकों एवं पत्रिकाओं पर भरोसा किया गया था, उनका उल्लेख करते हुए पूरक प्रति-शपथपत्र दाखिल कर सकता है।

20. इस मामले को दिनांक 30.07.2025 को शीर्ष दस श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाए।”

(4) इसके अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ निकाय द्वारा दिनांक 25.07.2025 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे अभिलेख पर लिया गया तथा दिनांक 21.08.2025 के आदेश द्वारा विपक्षीगण को अपनी आपतियाँ दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया गया। तत्पश्चात्, चूँकि आपतियाँ दाखिल नहीं की गई थीं, दिनांक 08.09.2025 को स्टॉप आदेश पारित किया गया, किंतु इसके बावजूद आपतियाँ प्रस्तुत न किए जाने पर दिनांक 18.09.2025 के आदेश द्वारा विपक्षीगण को एक और अवसर प्रदान किया गया तथा इस मामले को आज अर्थात् 10.10.2025 को सूचीबद्ध किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि यदि अगली सूचीबद्ध तारीख तक रिपोर्ट के

विरुद्ध कोई आपति दाखिल नहीं की जाती है, तो आपति दाखिल करने का अवसर समाप्त माना जाएगा। उपर्युक्त आदेश पारित किए जाने के बावजूद, आज तक रिपोर्ट के विरुद्ध कोई आपति दाखिल नहीं की गई है।

(5) विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दिनांक 10.10.2025 के लिखित निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया है, और प्रस्तुत किया कि परीक्षा का आयोजन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा प्रश्नपत्र तैयार किए जाने के साथ किया गया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने दिनांक 10.10.2025 के पत्र में उल्लेख किया है कि चूँकि परीक्षा वर्ष 2018 में आयोजित की गई थी, इसलिए संबंधित डेटा को अभिलेखागार में सुरक्षित कर दिया गया है और अब उपलब्ध नहीं है, किंतु उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसके लिए 10-15 कार्य दिवसों की आवश्यकता होगी। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि आपतियाँ दाखिल करने हेतु कम से कम दो सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए।

(6) यह स्पष्ट है कि विशेषज्ञ निकाय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विरुद्ध आपतियाँ दाखिल करने हेतु विपक्षीगण को तीन बार समय प्रदान किया जा चुका है और ऐसी आपतियाँ दाखिल करने का अवसर समाप्त किए जाने के पश्चात् यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आज तक आपतियाँ दाखिल करने का अवसर समाप्त करने वाले आदेश को रिकॉल करने हेतु कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है।

(7) उपर्युक्त के दृष्टिगत, चूँकि आपतियाँ दाखिल करने का अवसर समाप्त हो चुका है, अतः यह न्यायालय ऐसी आपतियाँ दाखिल करने हेतु और समय प्रदान करने का कोई आधार नहीं पाता है।

(8) इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2025 को जारी निर्देशों, विशेष रूप से टेस्ट बुकलेट सीरीज संख्या 52 के प्रश्न संख्या 9 एवं 10 के संबंध में, विचार करने पर यह पाया जाता है कि दिनांक 02.07.2025 को इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के

अनुसरण में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और अभिलेख पर है। रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग निम्नवत् है:-

“प्रश्न संख्या 9 मौर्य वंश के अंतिम शासक से संबंधित है। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था।

संदर्भ:-

1. थापर, रोमिला (2013), द पास्ट बिफोर अस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 296।

“मौर्य सम्राटों में अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य की 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई और उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता हड़प ली तथा तत्पश्चात् सिंहासन पर अधिकार कर शुंग साम्राज्य की स्थापना की।”

2. लाहिड़ी, बी. (1974), इंडिजिनस स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया (सर्का 200 बी.सी. टू 320 ए.डी.), कलकत्ता: यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, पृ. 24-25।

“बाणभट्ट के हर्षचरित में कहा गया है कि पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को सेना की शक्ति दिखाने के बहाने संपूर्ण मौर्य सेना को उसके समक्ष परेड कराते हुए अपने स्वामी की हत्या कर दी।”

3. पार्जिटर, एफ. ई. (1913), द पुराण टेक्स्ट ऑफ द डायनेस्टीज़ ऑफ द काली एज, पृ. 31।

4. शर्मा, आर. एस. (2017), इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित।

“मौर्य साम्राज्य का अंततः 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग द्वारा विनाश कर दिया गया। वह अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। ऐसा कहा जाता है कि उसने बृहद्रथ की सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी...”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. मुखर्जी, राधाकुमुद (2007), प्राचीन भारत, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली, पृ. 72।

“बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने उसे हटाकर शुंग वंश का राज्य स्थापित किया।”

“प्रश्न संख्या 100 चार विकल्पों वाला एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। दिए गए चारों विकल्पों में से कोई भी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। इस निष्कर्ष का आधार गणित की किसी भी अच्छी मध्य-स्तरीय पाठ्यपुस्तक में पाया जा सकता है, उदाहरणार्थ एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 की गणित की पाठ्यपुस्तक गणित प्रकाश।”

(9) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ निकाय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ऐसी कोई परिस्थिति प्रतीत नहीं होती जिसके कारण लखनऊ विश्वविद्यालय के गणित एवं खगोल विज्ञान विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विपरीत कोई दृष्टिकोण अपनाया जाए। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट रूप से यह तथ्य सामने आता है कि बुकलेट सीरीज संख्या 52 के प्रश्न संख्या 9 एवं 100 के संबंध में उत्तर कुंजी में गलत उत्तर दर्शाए गए थे।

(10) लखनऊ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ निकाय की रिपोर्ट के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसमें न केवल उत्तरों का उल्लेख किया गया है, बल्कि विशेषज्ञ निकाय के निष्कर्ष के विस्तृत कारणों के साथ-साथ उन पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिन पर विशेषज्ञ निकाय द्वारा भरोसा किया गया है।

(11) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिचल एवं अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य, [(2018) 8 एस.सी.सी. 81] में दिए गए निर्णय तथा इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जानेश कुमार झा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, रिट-ए संख्या 62711 सन् 2015 में दिए गए निर्णय के दृष्टिगत यह निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त दोनों प्रश्नों के पूर्ण अंक प्रदान किए जाने के पश्चात् प्रश्नगत पदों पर नियुक्ति हेतु याचीगण के दावे को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि संबंधित चयन वर्ष 2018 के चयन के संबंध में अब कोई रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं। यदि आवश्यकता हो, तो विपक्षीगण नागरिक पुलिस/पी.ए.सी. में कांस्टेबल के पद पर याचीगण की नियुक्ति हेतु उनके समायोजन के लिए अधिसंख्य पदों के सृजन पर विचार करेंगे।

(12) अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि टेस्ट बुकलेट सीरीज संख्या 52 के प्रश्न संख्या 9 एवं 100 से संबंधित उत्तर कुंजी में गलत उत्तर दर्शाए गए हैं और इसलिए उक्त प्रश्नों से संबंधित उत्तर कुंजी को उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी करते हुए एतद्वारा निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, परमादेश की प्रकृति में एक अन्य रिट जारी की जाती है, जिसके द्वारा विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि टेस्ट बुकलेट सीरीज संख्या 52 के उपर्युक्त प्रश्न संख्या 9 एवं 100 के लिए उन याचीगण को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएँ, जिनके उत्तर विशेषज्ञ निकाय द्वारा दिए गए उत्तरों से मेल खाते हैं। विपक्षीगण द्वारा चयन सूची को पुनः तैयार करने की कार्यवाही आज से दो माह की अवधि के भीतर शीघ्रतापूर्वक की जाएगी। यदि टेस्ट बुकलेट सीरीज संख्या 52 के प्रश्न संख्या 9 एवं 100 के लिए पूर्ण अंक प्रदान किए जाने के पश्चात् चयन सूची पुनः तैयार किए जाने पर किसी याची को कट-ऑफ अंकों के अंतर्गत पाया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसके पश्चात् दो सप्ताह की अवधि के भीतर उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। तथापि, यह आदेश उक्त कांस्टेबल पद पर चयन वर्ष 2018 के अनुसरण में पहले ही की जा चुकी नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा।

(13) इस आदेश का लाभ स्पष्टतः केवल उन्हीं याचीगण को उपलब्ध होगा, जिन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(14) उपर्युक्त निर्देशों के साथ, याचिका सफल होती है और स्वीकृत की जाती है। पक्षकार अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।”



4. उपर्युक्त निर्णय और वर्तमान मामले के बीच एकमात्र अंतर याचीगण को वितरित किए गए प्रश्नपत्रों के अलग-अलग सेटों के संबंध में है। तथापि, प्रश्न वही हैं, केवल प्रश्नपत्रों के सेट में परिवर्तन के कारण प्रश्न संख्या भिन्न हैं।

5. ऐसी स्थिति में, चूँकि विवाद अमित कुमार गुप्ता के मामले के साथ-साथ कौशल सहानी के मामले में विचार किए गए उन्हीं प्रश्नों से संबंधित था, अतः वर्तमान रिट याचिका को भी रिट-ए संख्या 14066 सन् 2019 (अमित कुमार गुप्ता एवं 11 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह, लखनऊ एवं अन्य) में दिनांक 30.10.2025 को दिए गए निर्णय के समान शर्तों पर **स्वीकृत** किया जाता है।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय में निर्धारित समय-सारणी वर्तमान मामले में भी लागू होगी।

(न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता)

05 अगस्त, 2026

ओ.के.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।